उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-5/285/एक-1-2017-5(34)/2016

लखनऊ: दिनॉक: 27 मार्च, 2017

अधिसूचना

जिलाधिकारी, मुरादाबाद के पत्र संख्या-413(1) जि0भू0व्य0सह0/2016, दिनॉक 18.06.2016, पत्र संख्या-133:जि0भू0व्य0सहा0-2016/2017/पुनर्ग्रहण, दिनॉक 21.11.2016 एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम रतनपुर कलां, परगना व तहसील बिलारी जनपद मुरादाबाद स्थित गाटा संख्या 667 रकबा 1.620 हेक्टेअर भूमि जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 6(2) अकृषक भूमि-स्थल, सडके, रेलवे, भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो अकृषित उपयोग में लायी जाती हो, समाज कल्याण विभाग राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के नाम दर्ज है। मौके पर आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण नहीं हुआ है। जनपद मुरादाबाद में एक राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय स्वच्छकार उन्नयन बस्ती परिसर में संचालित है। शासनादेश संख्या-114/2015/आर-'110 वी0आई0पी0/26-3-2015-246 सी0एम0/2015 दिनांक 06.10.2015 के प्रस्तर-1 में निहित व्यवस्था के क्रम में वर्तमान में जनपद मुरादाबाद में प्रस्तावित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की आवश्यकता नहीं है।

2. जिलाधिकारी, मुरादाबाद तथा समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की संस्तुति के के आलोक में जनहित में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ग्राम रतनपुर कलां, परगना व तहसील बिलारी जनपद मुरादाबाद स्थित गाटा संख्या 667 रकबा 1.000 हेक्टेअर राजकीय आश्रम पद्धति के नाम दर्ज लोक प्रयोजन भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रतनपुर कलां के उपयोगार्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखे जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रतनपुर कलां के व्यापक जनहित के दृष्टिगत ग्राम रतनपुर कलां, परगना व तहसील बिलारी जनपद मुरादाबाद स्थित गाटा संख्या 667 रकबा 1.000 हेक्टेअर राजकीय आश्रम पद्धति के नाम दर्ज भूमि का श्रेणी परिवर्तन विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत किया जा रहा है।

(2) राजकीय आश्रम पद्धति के नाम दर्ज भूमि का श्रेणी परिवर्तन नि:शुल्क किया जा रहा है।

(3) जनपद मुरादाबाद में एक राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय स्वच्छकार उन्नयन बस्ती परिसर में संचालित है। शासनादेश संख्या-114/2015/आर-'110 वी0आई0पी0/26-3-2015-246 सी0एम0/2015 दिनांक 06.10.2015 के प्रस्तर-1 में निहित व्यवस्था के क्रम में वर्तमान में जनपद मुरादाबाद में प्रस्तावित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत भूमि के विनिमय की आवश्यकता नहीं है।

shasnadesh.up.nic.in

-2-

(4) कलेक्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त भूमि का उपयोग केवल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रतनपुर कलां हेतु किया जायेगा। अन्य किसी प्रयोजन/व्यावसायिक उपयोग हेतु भूमि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

(5) कलेक्टर, मुरादाबाद को आदेशित किया जाता है कि श्रेणी परिवर्तन की गयी भूमि को अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में सुनिश्चित की जायेगी।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-285(1)/एक-1-2017-5(34)/2016 तद् दिनाँक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
5. जिलाधिकारी, मुरादाबाद।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बीरबल सिंह)
उप सचिव।

shasnadesh.up.nic.in

shasnadesh.up.nic.in